रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082021-228713
CG-DL-E-04082021-228713

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
No. 428] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SRAVANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 527(अ).—निम्नलिखित कुछेक प्रारूप नियम, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, जिन्हें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 164ख की उप-धारा (2) के खंड (फ), (ब), (भ) और (म) के साथ पठित 164ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है, और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा-प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती है।

उपरोक्त अवधि समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जायेगा;

इन प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियों और सुझाव, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली को ई-मेल comments-morth@gov.inके माध्यम से भेजा जा सकता है।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (मोटर यान दुर्घटना निधि) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – इस योजना में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

क. "अधिनियम" से अभिप्रेत समय समय पर यथा संशोधित मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) है;

ख. "कोष" से अभिप्रेत धारा 164ख के अंतर्गत यथा विरचित मोटर यान दुर्घटना कोषहै, जिसमें "बीमित यान के लिए खाता", "गैर बीमित/हिट एंड रन के लिए खाता", और "हिट एंड रन प्रतिकर कोष" शामिल है;

ग. "बीमित यानों के लिए खाता" से अभिप्रेत है इस कोष का ऐसा हिस्सा जिसका उपयोग इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के अनुसार बीमित यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए किया जाता है;

घ. "बीमित यानों/हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता" से अभिप्रेत है इस कोष का ऐसा हिस्सा जिसका उपयोग इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के अनुसार गैर-बीमित यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं / हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए किया जाता है;

ङ. "जीआईसी" से अभिप्रेत है साधारण बीमा परिषद;

च. "हिट एंड रन प्रतिकर निधि" से अभिप्रेत है उक्त निधि का ऐसा हिस्सा जिसका उपयोग केंद्रीय मोटर यान (हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को प्रतिकर) नियम, 2021 के साथ पठित, इस अधिनियम की धारा 161 के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए किया जाता है;

छ. "अस्पताल" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 162 के तहत विरचित योजना के अंतर्गत किसी सड़क दुर्घटना पीडित को उपचार प्रदान करने वाला कोई स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता;

ज. "एमओआरटीएच" से अभिप्रेत है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय;

झ. "निर्दिष्ट एजेंसी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा न्यस्त एजेंसी;

ञ. "न्यास" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 4 के अनुसार स्थापित कोई न्यास;

ट. उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रवृत हैं और परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. **मोटर यान दुर्घटना कोष की स्थापना** – इस अधिनियम की धारा 164ख की उप-धारा के अनुसार मोटर यान दुर्घटना कोष का गठन किया जाएगा, और इसमें निम्नलिखित तीन खाते शामिल होंगे:

क. बीमित यानों के लिए खाता;

ख. गैर-बीमित यानों / हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता; और

ग. हिट एंड रन प्रतिकर कोष।

4. न्यास का निर्माण– (1) न्यास भारत में प्रयोज्य कानून के अनुसार सम्यक रूप से एक लोक पूर्त गठित और पंजीकृत किया जाएगा, और इस न्यास के न्यासी मोटर यान दुर्घटना कोष (न्यास कॉर्पस) धारित करेंगे, जिसमें प्रारंभिक कॉर्पस और नियम 10 के अनुसार बाद के अंशदान शामिल होंगे।

(2) इस न्यास का प्राथमिक उद्देश्य इन नियमों के अनुसार निम्नलिखित मद में मोटर यान दुर्घटना कोष का उपयोग करना होगा:

(क) हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना, 2021 के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 161 के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटनाओं की दशा में प्रतिकर प्रदान करना;

(ख) इस अधिनियम की धारा 162 के अनुसार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को नकदी रहित उपचार प्रदान करना;

(ग) इन नियमों में यथा विनिर्दिष्ट किये गए अन्य व्यक्तियों को प्रतिकर प्रदान करना,

(3) यह न्यास इन नियमों द्वारा विनियमित होगा और नियम 7 के अंतर्गत न्यास विलेख बनाया जाएगा।

5. न्यास की संरचना – इस न्यास में निम्नलिखित न्यासी शामिल होंगे, नामत: -

	सदस्य का पदनाम	**न्यास में भूमिका**
1	संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	न्यासी – अध्यक्ष
2	संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग	न्यासी – सदस्य
3	संयुक्त सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय	न्यासी – सदस्य
4	संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	न्यासी – सदस्य
5	सदस्य (गैर-जीवन), भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण	न्यासी – सदस्य
6	निदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	न्यासी – (सदस्य – समन्वयक)
7	प्रधान, सीसीए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधि	न्यासी – सदस्य
8	महासचिव (सेक्रेटरी जेनरल), साधारण बीमा परिषद	न्यासी – सदस्य
9	अध्यक्ष द्वारा यथा नामित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक प्रतिनिधि	न्यासी – सदस्य
10	भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के नामिति	न्यासी – सदस्य

6. न्यासियों की शक्तियां और कृत्य – न्यास के उद्देश्यों, और उसकी प्राप्ति के प्रासंगिक या आनुषंगिक मामलोंको आगे बढ़ाने के लिए, न्यासी की निम्निलखित शक्तियां होंगी-

क. मोटर यान दुर्घटना कोष (न्यास कॉरपस) के कार्यकरण और उपयोग की सावधिक समीक्षा, और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, संबंधित सुधारात्मक उपायों के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा करने;

ख. हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकरयोजना, 2021 और इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के क्रियान्वयन के संबंध में केंद्र सरकार को अनुशंसा करना;

ग. नियम 10 के अंतर्गत किए गए अंशदान, जिसमें मोटर यान दुर्घटना कोष (न्यास कॉरपस) शामिल है, की प्राप्ति और उसके उपयोग के आधार पर मात्रा की वार्षिक समीक्षा।

घ. हिट एंड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना, 2021 और इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी संगठनों या एजेंसियों द्वारा उठाए किसी अन्य मुद्दे पर विचार विमर्श करना;

ङ. इस कोष का उपयोग करने वाली योजना (ओं) के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न कोई अन्य मुद्दा।

7. न्यास विलेख – (1) यह न्यास इन नियमों के अनुसार विरचित न्यास विलेख द्वारा विनियमित होगा, और न्यास विलेख इन नियमों के अतिरिक्त होगा और न कि इसके अल्पीकरण में होगा।

परंतु यह कि न्यास विलेख और इन नियमेां के बीच किसी विसंगति के मामले में, ये नियम अधिक्रांत करेंगे।

(2) इस न्यास विलेख में निम्नलिखित खंड शामिल होंगे :

क. न्यास का नाम और उद्देश्य;

ख. प्रारंभिक न्यास कॉरपस और इस कॉरपस में परिवर्द्धन;

ग. न्यासी मंडल;

घ. न्यासियों की शक्तियां और उत्तरदायित्व;

ङ. न्यासियों की बैठकें, जिसमें कोरम, कार्यवृत्त, बैठकों के नोटिस और मतदान शामिल हैं;

च. न्यास की ओर से शक्तियों काप्रत्यायोजनऔर अधिकारियों की नियुक्ति;

छ. न्यास के नियम, विनियम और उप नियम विरचित करने की शक्ति;

ज. उचित तौर पर एक या अधिक अर्हक स्वतंत्र लेखा-परीक्षक(कों) द्वारा वार्षिक आंतरिक लेखा-परीक्षा की आवश्यकता और तंत्र और उनकी नियुक्ति का तरीका;

झ. न्यास कॉरपस के अभिलेखों और लेखाओं के अनुरक्षण की आवश्यकता;

ञ. न्यास विलेख में संशोधन करने की शक्ति; ओर

ट. न्यास का विघटन।

8. अभिलेखों, लेखाओं का अनुरक्षण और मोटर यान दुर्घटना कोष की लेखा परीक्षा

(1) न्यास के उचित और पारदर्शी प्रशासन के हित में और भारत में प्रयोज्य कानूनों के अनुपालन में न्यासी ऐसे दस्तावेजों, फाइलिंग, बहियों और अभिलेखों को बनाए रखेंगे और अनुरक्षित रखेंगे।

(2) न्यासी मोटर यान दुर्घटना निधि (न्यास कॉरपस) के प्रबंधन के अनुक्रम में या न्यास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के संबंध में प्राप्त और व्ययित सभी धनराशियों का और साथ ही साथ मोटर यान दुर्घटना कोष (न्यास कॉरपस) से संबंधित सभी आस्तियों और देयताओं का सही और सटीक लेखा देगें।

(3) उप-खंड (1) और (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, न्यासी मोटर यान दुर्घटना कोष के लेखाओं के वार्षिक विवरण और तुलन पत्र सहित उचित लेखा, और निम्नलिखित के संबंध में अभिलेखबनाए रखेंगे –

क. प्राप्त और व्ययित सभी धनराशियां और वे मामले जिनमें प्राप्ति और व्यय हुए हैं;

ख. न्यास की आस्तियां और देनदारियां; और

ग. न्यासियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

(4) न्यासियों द्वारा अनुरक्षित लेखा बहियों और विवरणों की प्रत्येक वर्ष न्यासियों द्वारा नियुक्त एक या अधिक अर्हित स्वतंत्र लेखा-परीक्षकों द्वारा जांच, लेखा परीक्षा की जाएगी और प्रमाणित की जाएगी।

(5) न्यासी प्रत्येक वर्ष में एक बार न्यास की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगे, और उस रिपोर्ट की एक प्रति, अंकेक्षित लेखाओं की प्रति के साथ, उस वित्तीय वर्ष के अंत में, उसी कैलेंडर वर्ष के जुलाई माह की 31वीं तारीख से पहले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे।

(6) इस अधिनियम की धारा 164 (ख) के अनुसार मोटर यान दुर्घटना कोष (न्यास कॉरपस) के लेखाओं का भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कीजाएगी।

(7) भारत के महानियंत्रक और लेखा परीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित मोटर यान दुर्घटना कोष की लेखाओं को, लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ, वार्षिक रूप से केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जिसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।

9. केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण और लेखा परीक्षा–

(1) केंद्र सरकार प्रत्यक्षत: या इसके अधिकृत प्रतिनिधि (यों) के माध्यम से न्यास की बहियों, लेखाओं, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण और लेखा परीक्षा कर सकती है।

(2) केंद्र सरकार निम्नलिखित में किसी भी एक कारणसहित, परंतु इन तक सीमित नहीं,से उप-खंड (1) की शक्ति का उपयोग कर सकती है, -

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखा बहियां, अभिलेखों और दस्तावेजों को उचित तरीके से अनुरक्षित रखा जा रहा है;

(ख) यह विनिश्चित करने के लिए कि इस अधिनियम के प्रावधानों, इन नियमों, केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी प्रासंगिक परिपत्रों, दिशानिर्देशों या अधिसूचनाओं का अनुपालन किया जा रहा है;

(ग) सड़क दुर्घटना पीड़ितों, या किसी अन्य व्यक्ति से, न्यास की गतिविधियों पर असर डालने वाले किसी मामले पर, प्राप्त शिकायतों की जांच करने के लिए;

(घ) इस न्यास के उद्देश्यों के हित जैसा उचित माना जाएगा, ऐसे मामलों की स्वत: जांच करने के लिए।

(3) इस नियम के अंतर्गत निरीक्षण या लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए न्यास, न्यासियों, इस न्यास के अध्यक्ष और अन्य अधिकारी इस न्यास से संबंधित इसके कब्जे में उपलब्ध सूचना, दस्तावेजों, अभिलेखों और प्रणालियों में युक्तियुक्त अभिगम/पहुंच प्रदान करेंगे।

(4) निरीक्षण और लेखा परीक्षा की समाप्ति पर, केंद्र सरकार न्यास के उद्देश्यों के हित में जोयह उचित और उपयुक्त समझे ऐसी कार्रवाई कर सकती है।

10. मोटर यान दुर्घटना कोष के धन के स्रोत– मोटर यान दुर्घटना कोष के प्रत्येक घटक के घन के स्रोत इस प्रकार हैं :-

क. **बीमित यानों के लिए खाता** –"बीमित यानों के लिए खाता" में निम्नलिखित जमा किए जाएंगे :

(i) भारत में साधारण बीमा का व्यवसाय करने वाली सभी बीमा कंपनियां, साधारण बीमा परिषद के परामर्श से न्यास द्वारा यथा विनिर्दिष्ट राशि का बीमित यान खाते में अंशदान करेंगी।

(ii) न्यास यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक तिमाही के अंत में बीमित यान खाते में न्यूनतम शेष जमा है, या जब खाते में जमा राशि न्यूनतम शेष के 20 प्रतिशत से कम हो, जो भी अधिक हो।

(ख) गैर-बीमित यान / हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता – "गैर-बीमित यान / हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता" में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का विनिर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्धारित खंडों का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित शुल्क (प्रयोक्ताशुल्क); या

(ii) भारत की समेकित निधि से बजटीय अनुदान के माध्यम से; या

(iii) इस अधिनियम की धारा 198क के अंतर्गत संग्रहित जुर्माना; या

(iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य स्रोत।

(ग) हिट एंड रन प्रतिकर निधि : - हिट एंड रन प्रतिकर निधि में निम्नलिखित जमा किया जाएगा :

क. इन नियमों के आरंभ की तिथि को क्षतिपूर्ति योजना, 1989 के अंतर्गत चालू जमा शेष;

ख. क्षतिपूर्ति योजना के आरंभ की तिथि से इन नियमों के आरंभ होने की तिथि तक भारत में साधारण बीमा का व्यवसाय करने वाली सभी बीमा कंपनियों से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 के अंतर्गत शोध्य और अब तक अप्राप्त सभी निधियां; और

ग. पूर्ववर्ती वर्ष में हिट एंड रन प्रतिकर निधि से वास्तविक संवितरणों को ध्यान में रखते हुए, वार्षिक आधार पर केंद्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित साधारण बीमा कंपनियों द्वारा भारत में साधारण बीमा का व्यवसाय करने वाली बीमा कंपनियों द्वारा संग्रहित कुल तृतीय पक्ष प्रीमियम का ऐसा कोई प्रतिशत।

11. मोटर यान दुर्घटना कोष के घटकों का उपयोग - मोटर यान दुर्घटना कोष के घटकों का उपयोग निम्नवत किया जाएगा–

(क) बीमित यानों का खाता–

i. बीमित यानों के खाता का उपयोग बीमित यानों द्वारा कारित दुर्घटनाओं के पीड़ितों का नकदीरहित उपचार के लिए किया जाएगा।

ii. नकदीरहित उपचार देने वाले अस्पताल की दावा राशि का संवितरण निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा किया जाएगा।

iii. इस खाते को न्यास के पर्यवेक्षण में जीआईसी द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

(ख) गैर-बीमित यानों / हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता –

i. "गैर-बीमित यानों/हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता" का उपयोग गैर-बीमित यानों द्वारा कारित और हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों का नकदीरहित उपचार करने के लिए किया जाएगा।

ii. नकदीरहित उपचार देने वाले अस्पताल की दावा राशि का संवितरण निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा अस्पताल को किया जाएगा।

iii. इस खाते को न्यास के पर्यवेक्षण में जीआईसी द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

(ग) हिट एंड रन प्रतिकर निधि :-

i. हिट एंड रन प्रतिकर निधि का उपयोग इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के अनुसार हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करने, और हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार के लिए अस्पताल द्वारा किए गए दावा की राशि की प्रतिपूर्ति नियम के अनुसार गैर बीमित यानों / हिट एंड रन दुर्घटना खाते में करने के लिए की जाएगी।

ii. इसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के पर्यवेक्षण में जीआईसी द्वारा प्रशासित किया जाएगा।

12. नकदीरहित उपचार के लिए निधियों का संवितरण –

1. इस नियम को इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के साथ पढ़ा जाएगा।

2. न्यास इस अधिनियम की धारा 162 के अंतर्गत विरचित योजना के क्रियान्वयन के लिए **नामनिर्दिष्ट एजेंसी** को निधि स्थांतरित करेगा।

3. बीमित यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटना के मामले में, अनुमोदित दावा राशि का संवितरण **नामनिर्दिष्ट एजेंसी** द्वारा बीमित यान के लिए खाता से अस्पताल को किया जाएगा।

4. गैर-बीमित यानों द्वारा कारित मोटर दुर्घटना के मामले में, अनुमोदित दावा राशि का संवितरण **नामनिर्दिष्ट एजेंसी** द्वारा गैर-बीमित यान / हिट एंड रन दुर्घटना खाता से अस्पताल को किया जाएगा।

परंतु यह कि यदि एमएसीटी ने दुर्घटना करने वाले ऐसे गैर-बीमित यान के स्वामी के विरुद्ध प्रतिकर के लिए पारित किसी अधिनिर्णय, जिसमें नकदीरहित उपचार के लिए राशि का संवितरण कर दिया गया है, स्वामी/अधिकृत बीमाकर्ता "गैर-बीमित / हिट एंड रन दुर्घटना के लिए खाता" में नकदी रहित उपचार के लिए व्ययित राशि की प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा।

5. हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में, -

(i) अनुमोदित दावा राशि का संवितरण **नामनिर्दिष्ट एजेंसी** द्वारा "गैर-बीमित यान / हिट एंड रन दुर्घटना खाता" से अस्पताल को किया जाएगा।

(ii) **नामनिर्दिष्ट एजेंसी** द्वारा अनुमोदित दावा राशि के संवितरण के उपरांत, धारा 161 (2) के अंतर्गत देय निर्धारित प्रतिकर तक सीमित, अनुमोदित दावा राशि "हिट एंड रन प्रतिकरनिधि" से "गैर-बीमित यान/हिट एंड रन दुर्घटना खाता" में हस्तांतरित किया जाएगा।

परंतु यह कि जब अनुमोदित दावा राशि, धारा 161(2) के अंतर्गत देय विनिर्धारित प्रतिकर धनराशि से कम होती है, शेष प्रतिकर राशि "हिट एंड रन प्रतिकर निधि" से पीड़ित को देय होगी।

परंतु यह और कि जब अनुमोदित दावा राशि, धारा 161(2) के अंतर्गत देय विनिर्धारित प्रतिकर धनराशि से अधिक होती है, अधिशेष अनुमोदित दावा राशि का वहन "गैर-बीमित यानों/हिट एंड रन दुर्घटना खाता" से किया जाएगा।

6. यदि हिट एंड रन दुर्घटना कारित करने वाले मोटर यान की बाद में पहचान हो जाती है :

क. गैर-बीमित यानों/हिट एंड रन दुर्घटना खाता से अस्पताल को अनुमोदित दावा राशि का संवितरण होने से पूर्व, या

ख. गैर-बीमित यानों/हिट एंड रन दुर्घटना खाता से अस्पताल को अनुमोदित दावा राशि का संवितरण हो जाने के उपरांत, परंतु धारा 161 के अंतर्गत एमएसीटी द्वारा पारित अधिनिर्णय से पहले किया जाता है;

स्वामी / अधिकृत बीमाकर्ता पीड़ित के नकदीरहित उपचार पर व्ययित अनुमोदित दावा राशि की "गैर-बीमित यानों/हिट एंड रन दुर्घटना खाता" में प्रतिपूर्ति करने का दायी होगा।

7. यदि निम्नलिखित के अनुसार प्रतिकर राशि के उपरांत,हिट एंड रन दुर्घटना कारित करने वाले मोटर यान की पहचान अभिनिर्धारित हो जाती है,

हिट एंड रन योजना, 2021 के पीड़ितों को प्रतिकर, हस्तांतरित कर दिया गया है, अधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी, जिनके विरुद्ध एमएसीटी द्वारा अधिनिर्णय पारित किया गया है,"हिट एंड रन प्रतिकर निधि" में प्रतिकर राशि हस्तांतरित करेगा।

परंतु यह कि यदि अनुमोदित दावा राशि एमएसीओ द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर राशि से अधिक है, अधिकृत बीमाकर्ता या स्वामी जिनके विरुद्ध एमएसीटी द्वारा अधिनिर्णय पारित किया गया है, धारा 161 के तहत केवल एमएसीटी द्वारा अधिनिर्णीत प्रतिकर हस्तांतरित करने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण - केवल इस नियम के प्रयोजनों के लिए,"अनुमोदित दावा राशि" का अर्थ **विनिर्दिष्ट एजेंसी** द्वारा अनुमोदित ऐसी दावा राशि होगा।

13. हिट एंड रन प्रतिकर के लिए निधियों का संवितरण – हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के मामले में, इस अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को प्रतिकर की योजना, 2021 के अनुसार हिट एंड रन प्रतिकर कोष से संवितरित किया जाएगा।

14. कोष के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संगठनों के कर्तव्य :-

क. सीएजी द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में प्राप्त और संवितरित दावों का उचित अभिलेख रखना;

ख. इस अधिनियम के अंतर्गत विरचित योजनाओं के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार भुगतान करना;

ग. केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट प्ररूप में रिपोर्ट देना;

घ. कार्मिक और अभिलेख के संबंध में पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखना;

ङ. केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट कोई अन्य कर्तव्य।

[फा. सं. आरटी-11036/64/2019-एमवीएल (भाग 1)]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2021

G.S.R. 527(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clauses (v), (w), (x), and (y) of sub-section (2) of section 164C read with section 164B of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email : comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Motor Vehicle Accident Fund) Rules, 2021.

(2) These shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. **Definitions.** — In these rules, unless the context otherwise requires, —

 a. "Act" means the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) as amended from time to time;

 b. "Fund" means the Motor Vehicle Accident Fund as formulated under Section 164B, which shall include the "Account for Insured Vehicles", "Account for Uninsured/Hit and Run", and the "Hit and Run Compensation Fund";

c. "Account for Insured Vehicles" means such part of the Fund that is utilized for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by insured vehicles in accordance with Scheme framed under section 162 of the Act;

d. "Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident" means such part of the Fund that is utilized for the cashless treatment of victims of motor accidents caused by uninsured vehicles/ hit and run accidents in accordance with Scheme framed under section 162 of the Act;

e. "GIC" means General Insurance Council;

f. "Hit and Run Compensation Fund" means such part of the Fund that is utilized for the payment of compensation for victims of hit and run accidents as per Section 161 of the Act, read with the Central Motor Vehicles (Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents) Rules, 2021;

g. "Hospital" means any healthcare service provider providing treatment to a road accident victim under the Scheme framed under section 162 of the Act;

h. "MoRTH" means Ministry of Road Transport & Highways;

i. "Designated agency" means agency entrusted by the Central Government for implementation of the scheme framed under section 162 of the Act;

j. "Trust" means a trust set up in accordance with Rule 4 of these rules;

k. Words and expressions used in these rules but not defined, shall have the same meanings as assigned to them under the Act.

3. Establishment of Motor Vehicle Accident Fund. – The Motor Vehicle Accident Fund shall be constituted in accordance with sub-section (1) of Section 164B of the Act, and shall comprise of the following three accounts:

a. Account for Insured Vehicles;

b. Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident; and

c. Hit and Run Compensation Fund.

4. Formation of Trust. — (1) A public charitable Trust shall be duly constituted and registered in accordance with the applicable laws in India, and the Trustees of the Trust shall hold the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus), which will comprise of the initial corpus and further contributions, as per Rule 10.

(2) The primary object of the Trust shall be to utilize the Motor Vehicle Accident Fund, in accordance with these rules, towards:

(a) Providing compensation in the case of hit and run accidents in accordance with Section 161 of the Act read with Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2021;

(b) Providing cashless treatment to victims of road accident in accordance with Section 162 of the Act;

(c) Providing compensation to such other persons as may be specified in these Rules.

(3) The Trust shall be governed by these rules and the Trust Deed formulated under Rule 7.

5. **Composition of the Trust. -** The Trust shall comprise of the following Trustees, namely: —

	Designation of Member	**Role in the Trust**
1.	Joint Secretary, MoRTH	**Trustee** (Chairperson)
2.	Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance	**Trustee** - Member
3.	Joint Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance	**Trustee** - Member
4.	Joint Secretary, Ministry of Health & Family welfare	**Trustee** - Member
5.	Member (Non-life), Insurance Regulatory Development Authority of India	**Trustee** - Member
6.	Director, MoRTH	**Trustee –(Member–Coordinator)**
7.	Representative of Pr. CCA, MoRTH	**Trustee** - Member
8.	Secretary General, General Insurance Council	**Trustee** - Member
9.	A representative of MoRTH as nominated by Chairman	**Trustee** - Member

10.	Nominee of the Road Safety Committee constituted by the Supreme Court of India	**Trustee**- Member

6. Powers and functions of the Trustees. — For the furtherance of the objects of the Trust, and matters incidental or ancillary to the attainment thereof, the trust shall have the following powers.-

a. Periodical review of the working and utilization of the Motor Vehicles Accident Fund (Trust Corpus), and make recommendations to the Central Government for relevant corrective steps, wherever necessary;

b. Make recommendations to the Central Government on the implementation of the Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2021 and the Scheme framed under section 162 of the Act;

c. Annual review of the quantum based on the receipt of contributions comprising of the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) made under rule 10 and utilization thereof,

d. Deliberate upon any issues raised by organizations or agencies responsible for the implementation of the Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2021 and the Scheme framed under section 162 of the Act;

e. any other issues arising during implementation of the scheme(s) utilizing this fund.

7. Trust Deed. - (1) The Trust shall be governed by a Trust Deed formulated in accordance with these rules, and the Trust Deed shall be in addition to and not in derogation of these rules.

Provided that in case of any inconsistency between the clauses of the Trust Deed and these rules, these rules shall supersede.

(2) The Trust Deed shall include the following clauses:

a. Name and objects of the Trust;

b. Initial Trust Corpus and additions to the corpus;

c. Board of Trustees;

d. Powers and responsibilities of Trustees;

e. Meetings of the trustees, including quorum, minutes, notice of meetings and voting;

f. Delegation of powers on behalf of the Trust and appointment of officers;

g. Power to frame rules, regulations and bye laws of the Trust;

h. Requirement and mechanism for annual internal audit by one or more properly qualified independent auditor(s) and their manner of appointment;

i. Requirement of maintenance of records and accounts of the Trust Corpus;

j. Power to amend the Trust Deed; and

k. Dissolution of the Trust.

8. Maintenance of record, accounts and audit of the Motor Vehicle Accident Fund

(1) The Trustees shall keep and maintain such documents, filings, books and records in the interest of proper and transparent administration of the Trust and in compliance with applicable laws in India.

(2) The Trustees shall give true and accurate accounts of all money received and spent and all matters in respect thereof in the course of management of the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) or in relation to carrying out the objectives of the Trust as well as all the assets and liabilities related to the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus).

(3) Without prejudice to the generality of sub-clauses (1) and (2), the Trustees shall maintain proper accounts, including an Annual Statement of Accounts and Balance Sheet of the Motor Vehicle Accident Fund and records with respect to –

a. all sums of money received and expended and the matters in respect of which the receipt and expenditure have taken place;

b. the assets and liabilities of the Trust; and

c. minutes of meetings of trustees.

(4) The books and statements of account maintained by the Trustees shall be examined, audited and certified, every financial year, by one or more qualified independent auditors, appointed by the Trustees.

(5) The Trustees shall prepare once every year, an annual report of the activities of the Trust and a copy of the same, along with the copy of the audited accounts, at the end of the financial year, shall be furnished to MoRTH, not later than July, 31st of the same calendar year.

(6) The accounts of the Motor Vehicle Accident Fund (Trust Corpus) shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India in accordance with Section 164B (8) of the Act.

(7) The accounts of the Motor Vehicle Accident Fund, as certified by the Comptroller and Auditor-General of India, together with the audit report, shall be forwarded annually to the Central Government, which shall cause the same to be laid before each House of the Parliament.

9. Inspection and Audit by the Central Government. -

(1) The Central Government may undertake directly or through its authorized representative(s), inspection and audit of the books, accounts, records and documents of the Trust.

(2) The Central Government may exercise the power in sub-clause (1) including, but not limited to, any of the following grounds, -

(a) to ensure that the books of account, records and documents are being properly maintained;

(b) to ascertain whether the provisions of the Act, these rules, all relevant circulars, guidelines or notifications issued by the Central Government are being complied with;

(c) to inquire into the complaints received from road accident victims, or any other person, on any matter having a bearing on the activities of the Trust;

(d) to inquire *suo moto* into such matters as may be deemed fit in the interest of objectives of this Trust.

(3) For the purpose of inspection or audit under this rule, the Trust, Trustees, Chairperson and other officers of the Trust, shall provide reasonable access to and furnish all information, documents, records and systems in its possession relating to the Trust.

(4) On completion of the inspection and audit, the Central Government may take such action as it may deem fit and appropriate in the interest of the objectives of the Trust.

10. Sources of funds of the Motor Vehicle Accident fund. – The sources of funds for each of the components of the Motor Vehicle Accident Fund are as follows: -

(a) **Account for Insured Vehicles-** The "Account for Insured Vehicles" shall be credited with the following:

(i) All insurance companies carrying on the business of general insurance in India shall contribute such amount as may be specified by the Trust in consultation with General Insurance Council, to the Account for Insured Vehicles.

(ii) The Trust shall ensure that a minimum balance is maintained in the Account for Insured Vehicles at the end of each quarter, or when the total amount of the Account is less than 20 percent of the minimum balance, whichever is greater.

(b) **Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident-** The "Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accidents" shall be credited with the following:

(i) the fee collected by the Central Government for using certain sections of the National Highways (user fee) as per National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008; or

(ii) through budgetary grant from Consolidated Fund of India; or

(iii) fine collected under Section 198A of the Act; or

(iv) any other source, as may be specified by the central Government.

(c) **Hit and Run Compensation Fund: -** The Hit and Run Compensation Fund shall be credited with the following:

a. the current balance under the Solatium Scheme, 1989, as on the date of commencement of these rules;

b. all funds due and yet to be realized under the Solatium Scheme, 1989, from Insurance Companies carrying on the business of general insurance in India from the date of commencement of the Solatium Scheme till the date of commencement of these Rules; and

c. Such percentage of total third party premium collected by insurance companies carrying on the business of general insurance in India by the general insurance companies as notified by the Central Government on an

annual basis, taking into account the actual disbursements from the Hit and Run Compensation Fund in the preceding year.

11. Utilization of the Components of Motor Vehicle Accident fund- The components of the Motor Vehicle Accident Fund shall be utilized as follows-

(a) Account for Insured Vehicles-

i. The Account for Insured Vehicles shall be utilized for the cashless treatment of victims of accidents caused by insured vehicles.

ii. **The claim amount of the Hospital for providing cashless treatment shall be disbursed by the designated agency.**

iii. **It shall be administered by GIC under supervision of the Trust.**

(b) Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident-

i. The "Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident" shall be utilized for providing cashless treatment to victims of accidents caused by uninsured vehicles and hit and run accident victims.

ii. The claim amount of the Hospital for providing cashless treatment, shall be disbursed by the designated agency to the Hospital.

iii. It shall be administered by GIC under the supervision of the Trust.

(c) Hit and Run Compensation Fund: -

i. Hit and Run Compensation Fund shall be utilized for providing compensation to hit and run accident victims, and reimbursement of claim amount raised by the hospital for cashless treatment of hit and run accident victims, as per Scheme framed under section 162 of the Act, to the Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident in accordance with rule.

ii. It shall be administered by GIC under the supervision of MoRTH.

12. Disbursement of funds for cashless treatment. -

1. This rule shall be read with the Scheme framed under Section 162 of the Act.

2. The trust shall transfer the fund to **the designated agency**, for implementation of the Scheme framed under section 162 of the Act

3. In case of motor accidents caused by insured vehicles, the approved claim amount shall be disbursed by **the designated agency** to the Hospital from the Account for Insured Vehicles.

4. In case of motor accidents caused by uninsured vehicles, the approved claim amount shall be disbursed by **the designated agency** to the Hospital from the Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident.

 Provided that if the MACT has passed an award for compensation against the owner of such uninsured vehicle causing the accident, wherein the amount for cashless treatment has been disbursed, the owner/authorised insurer shall be liable to reimburse the amount spent on cashless treatment to the "Account for Uninsured/Hit and Run Accident".

5. In case of a hit and run motor accident, -

 (i) the approved claim amount shall be disbursed by **the designated agency** to the Hospital from the "Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident".

 (ii) After disbursement of approved claim amount by **the designated agency**, the approved claim amount, limited to the fixed sum compensation payable under Section 161(2), shall be transferred from the "Hit and Run Compensation Fund" to the "Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident".

 Provided that when the approved claim amount is less than the fixed sum compensation payable under Section 161(2), the balance compensation amount shall be payable to the victim from the "Hit and Run Compensation Fund".

 Provided further that when the approved claim amount is more than the fixed sum compensation payable under section 161(2), the excess approved claim amount shall be borne by the "Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident".

6. If the identity of the motor vehicle causing the hit and run accident is subsequently identified:

a. before the approved claim amount is disbursed from the Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident to the Hospital, or

b. after the approved claim amount is disbursed from the Account for Uninsured vehicles/Hit and Run Accident to the Hospital, but before the award is passed by the MACT under Section 161;

the owner/authorised insurer shall be liable to reimburse the approved claim amount spent on the cashless treatment of the victim to the "Account of Uninsured/Hit and Run Accident".

7. If the identity of the motor vehicle causing the hit and run accident is identified, after the compensation amount in accordance with Compensation of victims of Hit & Run Accidents Scheme, 2021, has been transferred, the authorized insurer or the owner, against whom the award has been passed by the MACT, shall transfer the compensation amount to "Hit and Run Compensation Fund".

Provided that in case the approved claim amount is more than the compensation amount awarded by the MACT, the authorized insurer or the owner against whom the award has been passed by the MACT shall be liable to transfer only the compensation awarded by the MACT under Section 161.

Explanation- For purposes of this rule, "approved claim amount" shall mean such claim amount approved by **the designated agency.**

13. Disbursement of funds for Hit and Run Compensation. - In case of hit and run motor accidents, the compensation under Section 161 of the Act shall be disbursed from the Hit and Run Compensation Fund in accordance with the Compensation to victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme, 2021.

14. Duties of organizations authorised by the Central Government for administration of Fund: -

a. to maintain proper records of the claims received and disbursed in Form specified by CAG;

b. to make payment as per the specified time limit under the schemes framed under this Act;

c. to provide reports in the format as specified by the Central Government;

d. maintenance of absolute integrity in respect of personnel and records;

e. Any other duties as may be specified by the Central Government.

[F. No. RT-11036/64/2019-MVL (PART 1)]
AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.08.04 10:38:47 +05'30'